

डिक्री व मुकदमा इबादात

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1- वीरभान पुत्र हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 2- रामा पुत्र हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 3- मु. कंचन पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 4- मु. मंजू पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. राधा पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. डाली देवी पत्नी हजारी निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 7- बबलू पुत्र बहादुर बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 8- धीरज पुत्र बहादुर बंजारा नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक भाई बबलू पुत्र बहादुर बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

- 1- देबीलाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी नृसिंहपुरा(भोजपुर) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- बाबूलाल पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी नृसिंहपुरा(भोजपुर) तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- भैरू पुत्र हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 4- मु. गामा पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. चौसर पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. धूली पुत्री हजारी बंजारा निवासी दांतड़ा चौराहा, दांतड़ा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
- 7- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण


वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 38/2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 06 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)